भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2398
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदी और जल्द रिहाई के लिए उपाय

†2398. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन :

श्री तंगेला उदय श्रीनिवास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्ष, तीन से पाँच वर्ष तक और पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत को कम करने के लिए क्या पहलें की गई हैं और इसके लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान अंडरट्रायल रिव्यू कमेटियों द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए काकीनाडा सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अंडरट्रायल रिव्यू कमेटियों द्वारा कितने विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए सिफारिश की गई और वास्तव में कितने कैदी रिहा किए गए ;

(ङ) हाल के न्यायिक निर्देशों के अंतर्गत जमानत संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) क्या पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान, निगरानी और समय पर रिहाई के लिए कोई प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली अपनाई गई है और यदि हां, तो निधि और अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (संघ राज्यक्षेत्रों) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार आंकड़ों का संकलन करता है और उन्हें अपने वार्षिक

प्रकाशन “प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया” में प्रकाशित करता है। वर्ष 2023 के नवीनतम प्रकाशित डाटा के अनुसार, 31.12.2023 तक देश की जेलों में तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष और पांच वर्ष से अधिक समय तक बंद विचारणाधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न की गई है, जैसा कि **उपाबंध-क** (प्रवर्ग-वार) और **उपाबंध-ख** (राज्य-वार) में दिया गया है। ये डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट https://www.ncrb.gov.in/ अपलोड/फाईल/पीएसआई-20231.पीडीएफ पर आसानी से उपलब्ध हैं।

(**ख**) **और** (**ग**) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 4 के अधीन ‘कारागार और कैदी’ राज्य सूची का विषय है। अतः कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्रीय सरकार भी इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती रही है।

निर्धन कैदियों, जो उन पर अधिरोपित किए गए जुर्माने का संदाय करने में असमर्थ हैं या वित्तीय मजबूरी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार “निर्धन कैदियों को सहायता” नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और एसओपी में 1 लाख रुपए तक की जमानत सहायता, मामला प्रसंस्करण के लिए समय-सीमा विहित करने और निधि के प्रत्याहरण और उपयोग के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण का उपबंध है।

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीन वर्ष अर्थात् 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय परिव्यय प्रदान किया था। 10.02.2026 तक, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 71,71,476/- रुपए की रकम का उपयोग पहले ही किया जा चुका है, जिससे 273 पात्र कैदियों को स्कीम का फायदा मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने पात्र विचारणाधीन कैदियों और दोषसिद्धों की निर्मुक्ति की सिफारिश करने के लिए सभी जिलों में विचारणाधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना के लिए पहल की है। देश भर में यूटीआरसी द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) को निधियां आबंटित करता है और एसएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों (एचसीएलएससी) को निधियां आबंटित करता है। नालसा डीएलएसए/एचसीएलएससी और निधियों के आबंटन और उपयोग के स्कीम-वार ब्यौरे नहीं रखता है।

(घ) से (**च**) **:** पिछले पांच वर्ष के दौरान यूटीआरसी द्वारा सिफारिश और निर्मुक्त किए गए विचारणाधीन कैदियों की संख्या निम्नानुसार है –

वर्ष	जमानत/निर्मुक्ति के लिए सिफारिश किए गए यूटीपी/दोषसिद्धों की सं.	यूटीआरसी की सिफारिशों के अनुसार निर्मुक्त किए गए निवासियों की सं.
2021	36,983	17,020
2022	70,780	35,480
2023	73,274	34,232
2024	53,594	25,982

2025	40,434	22,523
कुल	**2,75,065**	**1,35,237**

जमानत सुधारों को परिचालित करने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **(**बीएनएसएस**)** की धारा 479 (1) उपबंध करता है कि **"**जहां कोई व्यक्ति**,** किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नही है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड या आजीवन कारावास एक दंड के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण**,** जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के**,** जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है**,** आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है**,** वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ।"

बीएनएसएस की धारा **479 (1)** के अधीन परंतुक प्रथम बार का अपराधी/विचाराणाधीन कैदियों को अतिरिक्त राहत का उपबंध करता है और यह उपबंध करता है कि "ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और (पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा**,** यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है । इसके अतिरिक्त**,** अंतर-प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली **(**आईसीजेएस**)** के अधीन ई**-**कारागार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित चेतावनी सृजित की जाती हैं और विचारणाधीन कैदियों की समय पर निर्मुक्ति के लिए समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती हैं।

****

उपाबंध-क

'विचाराधीन कैदियों और जल्द रिहाई के लिए उपाय' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 जिसका उत्तर 13.02.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31 दिसंबर, 2023 तक जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और प्रवर्ग-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आंध्र प्रदेश	1089	1453	1908	1118	5568
2	अरुणाचल प्रदेश	9	124	48	7	188
3	असम	863	898	2434	3351	7546
4	बिहार	8549	1514	26411	10055	46529
5	छत्तीसगढ़	2100	3648	4025	1747	11520
6	गोवा	44	61	59	312	476
7	गुजरात	1409	1719	5353	3068	11549
8	हरियाणा	5868	1564	5920	5940	19292
9	हिमाचल प्रदेश	537	35	161	1094	1827
10	झारखंड	2398	3765	5488	1933	13584
11	कर्नाटक	2627	1237	6888	971	11723
12	केरल	1115	428	3353	1168	6064
13	मध्य प्रदेश	4385	4891	9279	4409	22964
14	महाराष्ट्र$	-	-	-	-	32438
15	मणिपुर	15	142	104	155	416
16	मेघालय	102	643	48	88	881
17	मिजोरम	77	1168	1	1	1247
18	नागालैंड	25	318	58	31	432
19	ओडिशा	4374	3961	3982	2461	14778
20	पंजाब	7389	2134	3659	11321	24503
21	राजस्थान	3636	2767	7240	3620	17263
22	सिक्किम	30	36	89	16	171
23	तमिलनाडु	3887	308	7906	250	12351
24	तेलंगाना	831	501	1429	1038	3799
25	त्रिपुरा	144	185	87	431	847
26	उत्तर प्रदेश	20534	3489	31596	17872	73491
27	उत्तराखंड	1369	298	1284	1447	4398
28	पश्चिमी बंगाल	2437	840	2442	14575	20294
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	4	17	147	168
30	चंडीगढ़	267	2	168	281	718
31	डीएनएच और दमण दीव	22	16	37	59	134
32	दिल्ली	3838	383	5753	7860	17834
33	जम्मू - कश्मीर	165	432	187	3784	4568
34	लद्दाख	0	20	6	16	42
35	लक्षद्वीप	0	3	0	0	3
36	पुडुचेरी	57	0	245	2	304
	कुल	**80192**	**38987**	**137665**	**100628**	**389910**
• राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार			$ महाराष्ट्र ने विवरण नहीं दिया।			

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट।

उपाबंध-ख

'विचाराधीन कैदियों और जल्द रिहाई के लिए उपाय' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 जिसका उत्तर 13.02.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

31 दिसंबर, 2023 तक तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष और पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	3 वर्ष तक	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	आंध्र प्रदेश	5529	36	3
2	अरुणाचल प्रदेश	171	14	3
3	असम	7263	136	147
4	बिहार	45035	1198	296
5	छत्तीसगढ़	10975	501	44
6	गोवा	390	64	22
7	गुजरात	10219	866	464
8	हरियाणा	18098	778	416
9	हिमाचल प्रदेश	1645	125	57
10	झारखंड	12172	931	481
11	कर्नाटक	10867	630	226
12	केरल	6030	26	8
13	मध्य प्रदेश	21792	1057	115
14	महाराष्ट्र	26402	3823	2213
15	मणिपुर	393	5	18
16	मेघालय	802	55	24
17	मिजोरम	1235	12	0
18	नागालैंड	409	11	12
19	ओडिशा	13480	884	414
20	पंजाब	23270	1050	183
21	राजस्थान	15523	1276	464
22	सिक्किम	167	4	0
23	तमिलनाडु	12199	106	46
24	तेलंगाना	3769	21	9
25	त्रिपुरा	847	0	0
26	उत्तर प्रदेश	65378	5474	2639
27	उत्तराखंड	4099	251	48
28	पश्चिमी बंगाल	17128	1921	1245
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	150	16	2
30	चंडीगढ़	679	30	9
31	डीएनएच और दमण दीव	102	22	10
32	दिल्ली	16286	1051	497
33	जम्मू - कश्मीर	3667	626	275
34	लद्दाख	36	4	2
35	लक्षद्वीप	3	0	0
36	पुडुचेरी	302	2	0
	कुल	**356512**	**23006**	**10392**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023 रिपोर्ट।

****